

अति आवश्यक  
राजस्व अंकमिलान  
आज ही जारी

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(6)09-10 लेखा / प्रमुखसं / ९७१ - ९९९

दिनांक : २७/४/२०१७

1. संबंधित मुख्य वन संरक्षक .....
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) .....
3. संबंधित मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य / बनास .....

विषय :- राजस्व अंकमिलान तिमाही ०४ / २०१६ से ०३ / २०१७ तक करने वाले।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय का माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक का राजस्व मदों का अंकमिलान कार्य निर्धारित दिनांक के आधार पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है ताकि रथानान्तरण प्रविष्टि महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर कार्यालय में समय पर प्रस्तुत की जा सके।

अतः अधीनस्थ कार्यालयों को अंकमिलान से संबंधित लेखाकार / लेखाकर्मी को अरण्य भवन के कमरा न.-309 में निर्धारित दिनांक के अनुसार मिलान किये जाने हेतु माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक वास्तविक प्राप्तियों के मद बार विवरण सहित पाबन्द करें।

**राजस्व अंकमिलान हेतु निर्धारित समय सारणी**

(अवधि ०४ / १६ से ०३ / १७ तक)	
दिनांक	
08.05.2017	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर
09.05.2017	बूंदी, चित्तौडगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुझांनू, जालौर, झालावाड़, सीकर, सवाईमाधोपुर
10.05.2017	जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर
11.05.2017	जयपुर, जैसलमेर

भवदीय,

६०

वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(6)09-10 लेखा / प्रमुखसं / १००० - ९०

दिनांक : २७/५/१७

**प्रतिलिपि:-**

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समय सारणी अनुसार अंकमिलान करने हेतु प्रतिनिधि को पाबन्द करावें।
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर (मुख्यालय) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

मध्यमिक्रोफोन  
वित्तीय सलाहकार / २७/५/१७  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर